भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4799

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आंध्र प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर

†4799. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की स्थापना के लिए इसके प्रारंभ से लेकर आज तक राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;
(ख) आंध्र प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यशील एएएम की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसे एएएम में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं का कोई संपरीक्षा करायी है; और
(घ) यदि हाँ, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहाँ ऐसी संपरीक्षा की गई है तथा उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आंध्र प्रदेश में स्थित 11,871 सहित 1.84 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से, उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये एएएम प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अविधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) का अनुमोदन और व्यय **अनुलग्नक** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी एएएम, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और गहन चिकित्सा अस्पताल ब्लॉकों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करना है। पीएम- एबीएचआईएम के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य को 382.80 करोड़ रुपये की लागत से 696 भवनहीन एसएचसी (एएएम) और 88.49 करोड़ रुपये की लागत से 45 शहरी एएएम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से अनुदान की सिफारिश की है। स्वास्थ्य अनुदान के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य को 532.04 करोड़ रुपये की राशि से 1558 भवन रहित एसएचसी (एएएम) के निर्माण और 418.21 करोड़ रुपये की राशि से 191 शहरी एएएम की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

नीति आयोग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) कार्यक्रम के मूल्यांकन में कई उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं विशेष रूप से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के प्रबंधन, सामान्य बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) परिचर्या, निःशुल्क दवाओं और निदान तक पहुंच में वृद्धि भी शामिल है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) की नियुक्ति से अग्रिम पंक्ति की सेवा वितरण को मजबूती मिली है और ई-संजीवनी जैसे डिजिटल उपकरणों ने विशेषज्ञ परिचर्या तक पहुंच का विस्तार किया है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष **2022-23** से वित्त वर्ष **2024-25** के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय

(लाखों रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		एसपीआईपी अनमोदन	**व्यय**	**एसपीआईपी अनमोदन**	**व्यय**	**एसपीआईपी अनमोदन**	**व्यय**
1	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	15.00	36.04	10.50	0.00	59.13	6.91
2	आंध्र प्रदेश	4089.10	2568.08	3745.65	3762.47	7,912.25	7,154.33
3	अरुणाचल प्रदेश	1119.21	909.86	883.71	1015.61	5,641.73	1,012.74
4	असम	23445.27	7768.40	18267.63	7772.03	7,807.13	5,090.39
5	बिहार	52749.20	37203.38	4026.16	8887.44	6,588.81	7,987.20
6	चंडीगढ़	124.82	4.85	124.82	74.55	177.82	94.58
7	छत्तीसगढ़	16633.63	14878.02	8478.83	5169.05	7,296.47	2,791.10
8	दादरा एवं नगर हवेली दमन और दीव	8.59	1.41	15.23	0.00	27.44	26.43
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.87
10	गोवा	512.89	219.96	53.09	114.17	353.11	122.88
11	गुजरात	13178.54	6077.98	8252.56	6037.43	20,988.58	5,958.37
12	हरियाणा	11399.68	4334.53	5971.04	3902.30	10,529.50	4,786.87
13	हिमाचल प्रदेश	928.75	600.85	226.99	791.63	3,934.48	937.80
14	जम्मू और कश्मीर	3657.24	1738.18	3070.74	903.20	3,218.48	1,469.04
15	झारखंड	25173.69	8680.99	11763.54	9831.75	10,572.72	8,402.34
16	कर्नाटक	42721.29	7548.67	13716.82	4961.44	2,970.04	4,460.33
17	केरल	18111.82	4313.89	26520.10	2691.84	3,756.14	3,545.14
18	लक्षद्वीप	3.55	1.95	1.99	6.35	14.00	1.13
19	मध्य प्रदेश	19073.02	18548.39	31381.22	21343.43	27,564.85	14,223.25
20	महाराष्ट्र	36566.83	20794.73	13564.63	11836.06	21,122.26	3,082.61

21	मणिपुर	1114.70	269.20	1100.70	874.20	1,796.43	606.72
22	मेघालय	2741.67	4370.76	717.12	2441.72	1,586.66	1,953.89
23	मिजोरम	755.57	236.80	671.08	159.35	574.09	76.09
24	नागालैंड	660.61	543.81	785.47	523.20	1,053.65	545.70
25	ओडिशा	15286.40	14159.00	13418.93	9688.04	15,178.49	8,879.13
26	पुदुचेरी	269.75	192.22	258.95	126.85	242.48	131.81
27	पंजाब	4613.92	452.19	1772.53	1772.53	3,207.89	1,076.51
28	राजस्थान	17212.36	2674.92	17212.36	1978.03	7,498.70	3,981.50
29	सिक्किम	110.21	210.66	98.65	69.73	38.69	24.14
30	तमिलनाडु	8096.81	8153.80	4339.34	1098.50	163.70	137.89
31	तेलंगाना	5202.87	907.86	5853.78	1510.43	3,454.81	1,265.06
32	त्रिपुरा	4421.36	1389.15	671.46	1079.68	639.65	447.88
33	उत्तर प्रदेश।	74968.69	36473.83	178616.62	37873.82	107,535.86	20,668.89
34	उत्तराखंड	7214.59	2096.87	2143.06	1986.99	4,523.07	2,048.07
35	पश्चिम बंगाल	20608.22	14404.86	12605.01	8487.25	16,173.90	7,502.92
36	लद्दाख	1870.85	587.07	633.80	293.06	912.02	557.41

नोटः

1. एसपीआईपी का अनुमोदन और व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार है और अनंतिम है।

2. व्यय में केंद्र द्वारा जारी की गई राशि, राज्य द्वारा जारी की गई राशि और वर्ष के प्रारंभ में शेष बची राशि का व्यय शामिल है।
